# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

**पीठासीन अधिकारीः–ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.**

**प्रकरण सं0 15/2023** **दायर दिनांकः 10.04.2023**

**उनवान**

1. अनिशा बाई आयु 33 वर्ष पुत्री रामभरोस पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति मेघवाल निवासी मूंडला बिसौती तहसील, अटरु जिला बारां (राज.)

प्रार्थिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट**

उपस्थित :–
प्रार्थिया :–विद्वान अभिभाषक श्री हरीश गालव द्वितीय
अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

**निर्णय** **दिनाकः 19.06.2025**

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल अन्ताना तहसील अटरू में प्रार्थिया के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी खाता संख्या 20 का खसरा नं. 14 का रकबा 0.25 है0, खसरा नं. 15 का रकबा 0.92 है0, खसरा नं. 4 का रकबा 0.59 है0 कुल किता 3 का रकबा 1.76 है0 आराजी हिस्सा 1/18 दर्ज खाता चली आ रही है। नक़ल जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थिया का नाम प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजीयात में अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा फौती नामान्तरण में वारिसान का नाम दर्ज करते समय सहवन से अनिशा बाई पुत्री रामभरोस के स्थान पर अनिता पुत्री रामभरोस अंकित कर दिया है जो कि गलत है जबकि प्रार्थिया का सही नाम अनिशा बाई पुत्री रामभरोस है जो कि उसके आधार कार्ड, जन आधार कार्ड आदि दस्तावेजो में भी अनिशा बाई नाम ही दर्ज है। उक्त समस्त दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थिया राजस्व कर्मचारीगणों द्वारा की गई त्रुटि को दुरुस्त करवा कर अपना नाम अनिता पुत्री रामभरोस के स्थान पर अनिशा बाई पुत्री रामभरोस दर्ज करवाने की अधिकारिणी है, बिना सहायता न्यायालय राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त करवाया जाना संभव नहीं है,

अस्तु माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारीगणों के द्वारा किये गए गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कार्य से प्रार्थिया का नाम गलत अंकित कर देने से प्रार्थिया को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जमाबन्दी एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थिया का नाम भिन्न भिन्न होने से बैंक से कृषि ऋण व अन्य कृषि योजनाओं का लाभ आदि प्राप्त नहीं कर पा रहे है। प्रार्थिया ने अप्रार्थी से नाम दुरुस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने का निर्देश दिया इस कारण यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि श्रीमान तहसीलदार साहब को अप्रार्थी बनाया गया है। आराजी ग्राम/माल अन्ताना तहसील अटरू जिला बारां में होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे ।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आराजी ग्राम एवं माल अन्ताना में आराजी खाता संख्या 20 का खसरा नं. 14 का रकबा 0.25 है0, खसरा नं. 15 का रकबा 0.92 है0, खसरा नं. 4 का रकबा 0.59 है0 कुल किता 3 का रकबा 1.76 है0 आराजी हिस्सा 1/18 आराजीयात में प्रार्थिया का नाम अनिता पुत्री रामभरोस के स्थान पर अनिशा बाई पुत्री रामभरोस दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें ।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/1196 दिनांक 28.04.2025 को शामिल फाईल किया गया।

साक्ष्यप्रार्थी के तहत शपथ पत्र Pw1 बनास बाई उर्फ बनासी बाई पत्नी रामभरोस जाति मेघवाल निवासी काचरी तहसील अटरू, Pw2 रामकिशन पुत्र नारायण उर्फ रामनारायण जाति मेघवाल निवासी काचरी तहसील अटरू व Pw3 अनिशा बाई पुत्री रामभरोस पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति मेघवाल निवासी मूण्डला बिसोती तहसील अटरू के शपथ पत्र पेश किए गए।

अभिभाषक प्रार्थीया की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों— नकल जमाबन्दी ग्राम व माल अन्ताना सम्वत 2071—74 खाता संख्या 20, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा अटरू, पेन कार्ड, प्रशासक

ग्राम पंचायत मेरमाचाह प्रमाण पत्र, शपथ पत्र गवाहान व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 20 में सहखातेदार बनासी बाई पत्नी स्व0 रामभरोस व रामकिशन पुत्र नारायण ने भी अनिता का नाम अनिशा बाई होना स्वीकार किया है।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण, साक्ष्यप्रार्थी तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल अन्ताना तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 20 का खसरा नं. 14 का रकबा 0.25 है0, खसरा नं. 15 का रकबा 0.92 है0 व खसरा नं. 4 का रकबा 0.59 है0 कुल किता 3 का रकबा 1.76 है0 आराजी में सह खातेदार अनिता पुत्री रामभरोस के स्थान पर अनिशा बाई उर्फ अनिता पुत्री रामभरोस किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

## –::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल अन्ताना तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 20 का खसरा नं. 14 का रकबा 0.25 है0, खसरा नं. 15 का रकबा 0.92 है0 व खसरा नं. 4 का रकबा 0.59 है0 कुल किता 3 का रकबा 1.76 है0 आराजी में सह खातेदार अनिता पुत्री रामभरोस के स्थान पर अनिशा बाई उर्फ अनिता पुत्री रामभरोस दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा अटरू को भी भिजवायी जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। जमाबन्दी के शेष अंकन यथावत रहेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 19.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
**उपखण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां**